

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

श्री भंवरलाल पिता गोटू तेली बनाम तहसीलदार डूंगला

केरम मुकदमा 251(A) नं.

सन् 2025

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख की तामील में जारी हुए
26/6/25	<p>प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सेमलिया पटवार मण्डल सेमलिया पीलाखेड़ा में स्थित निजी खातेदारी आराजी नम्बर 343 रकबा 0.6580 हैक्टेयर भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से बिलानाम आराजी में सें रास्ता की मांग की जाने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/ दिनांक को तहसीलदार डूंगला की जाँच कर रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार डूंगला नें अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/383 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम सेमलिया की आराजी नंबर 343 रकबा 0.6580 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी खातेदार कृषक है तथा इस आराजी पर पहुंचने के लिए ग्राम अरथला की बिलानाम आराजी नम्बर 358 रकबा 1.7460 हैक्टेयर भूमि में स्थित मौके पर उपलब्ध आवागमन के रास्ता का उपयोग उपभोग कर रहे है। साथ ही रास्ता के उपयोग में आने वाली भूमि 125 मीटर चौड़ाई में एवं 7 मीटर लम्बाई में कुल 875 वर्गमीटर भूमि नवीन रास्ता हेतु प्रस्तावित कर प्रस्तावित क्षेत्रफल की डीएलसी दर की दुगुनी राशि 69125/- अक्षरे उनहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रूपये राजकोष में जमा करने की अनुशंषा के साथ पत्रावली प्रेषित की है। इस संबंध प्रार्थी को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशि 69125/- अक्षरे उनहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रूपये मद 0029-00-105-01-00 में जमा करा चालान की प्रति पेश करने हेतु अवगत करायागया। पत्रावली वास्ते पेश होने चालान प्रति में एवं आदेश हेतु दिनांक 17.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>26/06/25</i></p>	
17/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा ई चालान दिनांक 19.06.2025 जी.आर.एन नंबर 106719007 की प्रति तहसीलदार डूंगला नें अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/383 दिनांक 17.07.2025 को पेश की गई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार डूंगला को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;"><i>17/7/25</i></p>	

